

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मार्च, 2016

संख्या का0आ0 7/एस.टी.-1/ह0आ0 6/2003/धा0 60/2016.- चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है;

अब, इसलिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 60 की उप-धारा(1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2016 कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 42 में, क्रम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"1.	मुख्यालय में तैनात विभाग की ओर से तीन वरिष्ठतम् अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्तों तथा सदस्य सचिव के रूप में आयुक्त द्वारा नामांकित अधिकारी जो उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त से नीचे की पदवी का न हो से मिलकर बनी समिति। इन अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्तों में से वरिष्ठतम् अध्यक्ष होगा।	पच्चीस लाख रुपये से अधिक"
-----	---	---------------------------

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 11th March, 2016

S.O. No. 7/ST-1/H.A. 6/2003/S.60/2016. - Whereas the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 60 read with the proviso to said Sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely:-

- These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2016.
- In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, in rule 42, for serial number 1 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"1.	Committee comprising of three senior most Additional Excise and Taxation Commissioners from department side posted at the Head Quarter and an officer not below the rank of Deputy Excise and Taxation Commissioner nominated by the Commissioner as the Member Secretary. The senior most amongst these and Additional Excise and Taxation Commissioners shall be the Chairman.	above twenty five lakh rupees"
-----	---	--------------------------------

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.